

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम० के० सिंह,
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3193-एक/16 विरुद्ध आदेश
दिनांक 01-09-16 पारित द्वारा कलेक्टर, सिवनी प्रकरण क्रमांक
81/अ-21/15-16.

भारतलाल पिता गुलपा गौंड
निवासी पिंडरई भूमिस्वामी चंदौरीकला
तहसील व जिला सिवनी म०प्र०

--- आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन द्वारा
कलेक्टर, सिवनी म०प्र०

---- अनावेदक


श्री ओ. पी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदक ।
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक शासन ।

आदेश

(आज दिनांक 21-9-2016 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक
80/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 01-9-2016 के
विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता
कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा
कलेक्टर, सिवनी के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया
गया कि वह ग्राम चंदौरीकला प.ह.न. 19 रा.नि.मं. बंडोल तहसील
व जिला सिवनी में भूमि खसरा नं. 546/1 रकबा 4.36 धारण
करता है । उक्त भूमि उसके द्वारा स्वयं कय की गई है । उक्त



भूमि निवास स्थान से 55 किलोमीटर दूर स्थित है और उसके ऊपर बैंक का ऋण है तथा अन्य भूमि के सुधार हेतु उसे राशि की आवश्यकता है । अतः उक्त भूमि को गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार, को विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा आवेदकों के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को अनुमति प्रदान किया जाना उचित न मानते हुए प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया जिस पर से कलेक्टर आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्रय का आवेदन निरस्त किया है । कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि उनके द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय की गई है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदित भूमि निवास स्थान से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है जिससे कृषि कार्य में असुविधा होती है, इसके अतिरिक्त आवेदक के ऊपर बैंक का ऋण है और उसे अन्य भूमि के सुधार हेतु रूपयों की आवश्यकता है । आवेदित भूमि के उपरांत आवेदक के पास तीन ग्रामों में 9.00 हैक्टर से अधिक भूमि शेष बचती है जो उनके जीवनयापन के लिए पर्याप्त है । अनुविभागीय अधिकारी एवं जिलाध्यक्ष ने तहसीलदार द्वारा जांच उपरांत प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया गया है और ना ही प्रकरण के तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार नहीं किया है । कलेक्टर ने बिना किसी प्रकार की जांच कराए एवं आवेदक का पक्ष सुने आवेदन निरस्त कर दिया है । जो न्यायोचित नहीं है । उनके द्वारा यह कहा गया कि आवेदित भूमि में से 1.10 हैक्टर भूमि शासन द्वारा वर्ष 2014 में

12/11



अधिग्रहीत करली गई है इस कारण अब आवेदक 4.36 हैक्टर के स्थान पर 3.26 हैक्टर भूमि विक्रय करने की अनुमति चाहता है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा उक्त आधारों पर कलेक्टर के आदेश को निरस्त उक्तानुसार भूमि के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर के आदेश को आवेदकों के हित में बताते हुए कहा गया कि चूंकि आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं । अतः आवेदक की निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाये ।

3/ आवेदकों एवं अनावेदक म0प्र0 शासन के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । प्रकरण में आये तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि है जो उसके द्वारा बैनामा के माध्यम से क्रय की गई है । आवेदित भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है । आवेदक आदिम जनजाति के सदस्य हैं इस कारण उनके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण वास्तविक है । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि आवेदित भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पास तीन ग्रामों में 9.28 हैक्टर भूमि शेष बच रही है । उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है कि आवेदकों को आवेदित भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं है । कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पास यह पाया

R. M.


जाता है कि इस प्रकरण में जिलाध्यक्ष का जो आदेश है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-09-16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की ग्राम चंदौरीकलां प.ह.नं. 19 रा.नि.मं. बंडोल तहसील व जिला सिवनी स्थित भूमि खसरा नं. 546/1 रकबा 3.26 हैक्टर को गैर आदिवासी व्यक्ति को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

- 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।
- 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।
- 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा ।
- 4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है ।

B.
1/12


(एम0के0 सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर